

करेंट अफेयर्स हारियाणा (संग्रह)



अप्रैल
2025

Drishti, 641, First Floor,
Dr. Mukharjee Nagar, Delhi-110009
Inquiry: +91-87501-87501
Email: care@groupdrishti.in

अनुक्रम

हरियाणा	3
➤ झज्जर में प्रधानमंत्री आवास योजना	3
➤ हरियाणा में ग्राम पंचायतें टीबी मुक्त घोषित	4
➤ हरियाणा में संरक्षित पुरातत्त्व स्थल	5
➤ जीरकपुर बाईपास को मंजूरी	6
➤ अरावली में खनन गतिविधियाँ प्रतिबंधित	8
➤ पंजाब और हरियाणा में गेहूँ उत्पादन की प्रवृत्ति	9
➤ मॉरीशस के आईएसए के देशीय साझेदारी फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर	11
➤ हरियाणा में विकास परियोजनाओं का उद्घाटन	12
➤ हरियाणा सरकार ने राज्य के खिलाड़ियों के लिये चिकित्सा बीमा योजना शुरू की	14
➤ गुरुग्राम में अपशिष्ट प्रबंधन	16
➤ हरियाणा में जीनोम-संपादन प्रयोगशाला	17
➤ जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र	19
➤ हरियाणा पंचायतों के लिये विकास पैकेज	21
➤ हरियाणा में पॉक्सो फास्ट ट्रैक कोर्ट	22

दृष्टि आईएसए के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



नोट :

हरियाणा

झज्जर में प्रधानमंत्री आवास योजना

चर्चा में क्यों ?

हरियाणा के झज्जर ज़िले के अधिकारी ग्रामीण क्षेत्रों में जरूरतमंद परिवारों की पहचान करने और उन्हें नए स्थायी घर बनाने के लिये वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिये **प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) 2.0** के लिये बड़े पैमाने पर सर्वेक्षण कर रहे हैं।

मुख्य बिंदु

- **स्थायी घर का सपना पूरा करना:**
 - ◆ PMAY-G पहल जरूरतमंद परिवारों को स्थायी आवास के माध्यम से सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन प्राप्त करने में मदद करने के लिये तैयार की गई है।
 - ◆ अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे सर्वेक्षण प्रक्रिया में तेज़ी लाकर प्रत्येक पात्र लाभार्थी को इसमें शामिल करें तथा ग्रामीण परिवारों के आवासीय सपने को पूरा करने में मदद करें।
 - ◆ PMAY-G 2.0 के लिये आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2025 तक बढ़ा दी गई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अधिक पात्र परिवार इस योजना से लाभान्वित हों।
 - अब तक ज़िले के सभी सात ब्लॉकों से 6,163 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं।
 - ◆ लाभ प्राप्त करने के लिये ग्रामीणजन स्वयं भी “आवास प्लस” मोबाइल ऐप के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
- **वित्तीय सहायता संरचना:**
 - ◆ इस योजना के तहत लाभार्थियों को स्थायी मकान के निर्माण के लिये कुल 1.38 लाख रुपए की वित्तीय सहायता मिलती है।
 - ◆ यह राशि तीन किस्तों में वितरित की जाती है:
 - पहली किस्त: 45,000 रुपए
 - दूसरी किस्त: 60,000 रुपए
 - तीसरी किस्त: 33,000 रुपए

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G)

- वर्ष 2016 में शुरू की गई PMAY-G का उद्देश्य समाज के सबसे गरीब लोगों को आवास उपलब्ध कराना है।
- ◆ यह सुनिश्चित करने के लिये कि सहायता सबसे अधिक पात्र लोगों तक पहुँचे, प्राप्तकर्ताओं का चयन एक कठोर तीन-चरणीय सत्यापन प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है, जिसमें **सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना 2011, ग्राम सभा** की मंजूरी और जियो-टैगिंग शामिल है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



नोट :

● PMAY-G के अंतर्गत लाभार्थियों को प्राप्त होगा:

- ◆ वित्तीय सहायता: मैदानी क्षेत्रों में 1.20 लाख रुपए तथा पूर्वोत्तर राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों सहित पहाड़ी राज्यों में 1.30 लाख रुपए।
- ◆ शौचालयों हेतु अतिरिक्त सहायता: **स्वच्छ भारत मिशन - ग्रामीण (SBM-G)** या **महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना** या किसी अन्य समर्पित वित्त पोषण स्रोत जैसी योजनाओं के साथ अभिसरण के माध्यम से शौचालयों के निर्माण के लिये 12,000 रुपए।
- ◆ रोजगार सहायता: आवास निर्माण के लिये **महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना** के माध्यम से लाभार्थियों के लिये 90/95 व्यक्ति-दिवस अकुशल मजदूरी रोजगार का अनिवार्य प्रावधान।
- ◆ बुनियादी सुविधाएँ: प्रासंगिक योजनाओं के साथ अभिसरण के माध्यम से पानी, तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (LPG) और बिजली कनेक्शन तक पहुँच।

हरियाणा में ग्राम पंचायतें टीबी मुक्त घोषित

चर्चा में क्यों ?

स्वास्थ्य विभाग ने छह प्रमुख संकेतकों के आधार पर हरियाणा के करनाल ज़िले की 66 ग्राम पंचायतों को **क्षय रोग (TB) मुक्त घोषित** किया है।

मुख्य बिंदु

- मूल्यांकन एवं पुरस्कार:
 - ◆ पंचायतों का मूल्यांकन करने के लिये एक राज्य स्तरीय टीम ने मार्च 2025 में मूल्यांकन किया।
 - ◆ अतिरिक्त उपायुक्त द्वारा मान्यता प्राप्त पंचायतों को सम्मानित किया गया।
 - ◆ टीबी मुक्त ग्राम पंचायत का दर्जा प्राप्त करने के लिये पंचायत को एक वर्ष तक आवश्यक शर्तें पूरी करनी होंगी।
- पुरस्कार श्रेणियाँ:
 - ◆ 14 पंचायतों को दूसरी बार टीबी मुक्त घोषित किये जाने पर प्रशंसा प्रमाण-पत्र के साथ **महात्मा गांधी की चाँदी की प्रतिमा प्रदान** की गई।
 - ◆ 52 पंचायतों को पहली बार टीबी मुक्त दर्जा प्राप्त करने के लिये **महात्मा गांधी की कांस्य प्रतिमा और प्रमाण-पत्र प्रदान** किये गए।
- टीबी मुक्त स्थिति के लिये मुख्य मानदंड:
 - ◆ वार्षिक बलगम नमूना संग्रह: प्रति 1,000 जनसंख्या पर कम-से-कम 30 नमूने।
 - ◆ टीबी का प्रचलन: प्रति 1,000 व्यक्तियों पर 1 से भी कम टीबी रोगी।
 - ◆ उपचार की सफलता दर: कम-से-कम 85%.
 - ◆ नैदानिक परीक्षण: कम-से-कम 60% टीबी रोगियों को CBNAAT or TrueNAAT परीक्षण से गुजरना होगा।
 - ◆ वित्तीय सहायता वितरण: **निक्षय पोषण योजना** के तहत 100% वितरण।
 - ◆ पोषण सहायता: सभी टीबी रोगियों को पोषण किट का प्रावधान।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



नोट :

● निक्षय मित्र योजना की भूमिका:

- ◆ टीबी मुक्त भारत के तहत शुरू की गई निक्षय मित्र योजना नागरिकों, गैर सरकारी संगठनों, कॉर्पोरेट्स और जन प्रतिनिधियों को टीबी रोगियों की सहायता करने का अवसर देती है।
- ◆ योगदानकर्ता (निक्षय मित्र) टीबी रोगियों को उनके स्वास्थ्य लाभ में सहायता के लिये मासिक पोषण किट प्रदान करते हैं।

क्षय रोग (TB)

● परिचय:

- ◆ **तपेदिक माइकोबैक्टीरियम** ट्यूबरकुलोसिस के कारण होने वाला एक संक्रमण है। यह व्यावहारिक रूप से शरीर के किसी भी अंग को प्रभावित कर सकता है। सबसे आम हैं फेफड़े, प्लूरा (फेफड़ों के चारों ओर की परत), लिम्फ नोड्स, आँते, रीढ़ और मस्तिष्क।

● संचरण:

- ◆ यह एक वायुजनित संक्रमण है, जो संक्रमित व्यक्ति के साथ निकट संपर्क के माध्यम से फैलता है, विशेष रूप से खराब वेंटिलेशन वाले घनी आबादी वाले स्थानों में।

● लक्षण:

- ◆ सक्रिय फेफड़े के टीबी के सामान्य लक्षण हैं खांसी के साथ बलगम और कभी-कभी खून आना, सीने में दर्द, कमजोरी, वजन कम होना, बुखार और रात में पसीना आना।

हरियाणा में संरक्षित पुरातत्त्व स्थल

चर्चा में क्यों ?

हरियाणा सरकार ने भिवानी ज़िले में 4,400 साल से भी ज्यादा पुराने दो **हड़प्पा सभ्यता स्थलों** को संरक्षित स्मारक और पुरातात्विक स्थल घोषित किया है। ये स्थल तिघराना और मिताथल गाँव में स्थित हैं।

मुख्य बिंदु

● अधिसूचना के बारे में:

- ◆ हरियाणा के धरोहर एवं पर्यटन विभाग के प्रधान सचिव ने एक अधिसूचना जारी कर 10 एकड़ क्षेत्र में फैले मिताथल स्थल को हरियाणा प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारक तथा पुरातत्त्व स्थल एवं अवशेष अधिनियम, 1964 के तहत संरक्षित घोषित किया है।
- ◆ हरियाणा विरासत एवं पर्यटन विभाग इस स्थल की सुरक्षा के लिये कदम उठाएगा, जिसमें बाड़ लगाना और गार्ड तैनात करना शामिल है।

● मिताथल का ऐतिहासिक महत्त्व:

- ◆ मिताथल में वर्ष 1968 से किये जा रहे उत्खनन से तीसरी-दूसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व की ताम्र-कांस्य युगीन संस्कृति के साक्ष्य सामने आए हैं।
- ◆ इस जगह की पहचान सबसे पहले वर्ष 1913 में हुई थी जब **समुद्रगुप्त के सिक्कों** का एक भंडार मिला था। वर्ष 1965 और 1968 के बीच की अन्य खोजों में मोती, ताँबे के औज़ार और प्रोटो-ऐतिहासिक सामग्री शामिल थी।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



नोट :

- ♦ मिताथल में खुदाई से शहरी नियोजन, वास्तुकला और शिल्पकला में हड़प्पा परंपराओं का पता चलता है। इस स्थल से अच्छी तरह से जले हुए मिट्टी के बर्तन, ज्यामितीय डिजाइन और मोतियों, चूड़ियों और टेराकोटा वस्तुओं सहित विभिन्न पुरावशेष मिले हैं।
- चिंताएँ:
 - ♦ अधिकारियों के अनुसार, ग्रामीणों ने इस क्षेत्र को पहले कृषि भूमि समझते हुए वहाँ व्यवधान उत्पन्न किया था। आगे और नुकसान को रोकने के लिये आधिकारिक सुरक्षा की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया गया है।
 - ♦ हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय की एक टीम द्वारा इस स्थल की चार बार खुदाई की गई है (2016, 2020, 2021 और 2024), जिसमें प्राचीन सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण निष्कर्ष सामने आए हैं।
- तिघराना का पुरातात्विक महत्त्व:
 - ♦ तिघराना स्थल हड़प्पा काल के बाद मानव बस्ती के विकास के बारे में जानकारी प्रदान करता है।
 - साक्ष्य बताते हैं कि इस क्षेत्र में सर्वप्रथम ताम्रपाषाणकालीन कृषि समुदाय लगभग 2,400 ई.पू. में बसा था।
 - ♦ सोथियन, जैसा कि शुरुआती बसने वालों को जाना जाता था, छोटे मिट्टी-ईंट के घरों में रहते थे जिनकी छतें फूस की थीं। वे कृषि में लगे हुए थे और काले और सफेद डिजाइनों के साथ चाक से बने मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करते थे।
 - ♦ तिघराना से प्राप्त अवशेषों में मनके बनाने और आभूषण उत्पादन के साक्ष्य मिले हैं, जिनमें मोतियों और हरी कार्नेलियन चूड़ियों की खोज भी शामिल है।
 - ♦ अधिकारियों ने पुष्टि की है कि चल रही खोजें क्षेत्र में सिसवाल-पूर्व, हड़प्पा-पूर्व और हड़प्पा-पश्चात की बस्तियों के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करती हैं।

हड़प्पा सभ्यता

- हड़प्पा सभ्यता, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता (IVC) के रूप में भी जाना जाता है, सिंधु नदी के किनारे लगभग 2500 ईसा पूर्व में विकसित हुई थी।
- यह मिस्र, मेसोपोटामिया और चीन के साथ चार प्राचीन शहरी सभ्यताओं में सबसे बड़ी थी।
- ताँबा आधारित मिश्रधातुओं से बनी अनेक कलाकृतियों की खोज के कारण सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- दया राम साहनी ने सबसे पहले वर्ष 1921-22 में हड़प्पा की खुदाई की और राखल दास बनर्जी ने 1922 में मोहनजो-दारो की खुदाई शुरू की।
- ♦ ASI के महानिदेशक सर जॉन मार्शल उस उत्खनन के लिये जिम्मेदार थे जिसके परिणामस्वरूप सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा और मोहनजोदड़ो स्थलों की खोज हुई।

ज़ीरकपुर बाईपास को मंजूरी

चर्चा में क्यों ?

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 1,878.31 करोड़ रुपये की पूंजीगत लागत से छह लेन वाले जीरकपुर बाईपास के निर्माण को मंजूरी दी।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



नोट :

- इस परियोजना का उद्देश्य हिमाचल प्रदेश की ओर जाने वाले यातायात को पुनर्निर्देशित करके जीरकपुर और पंचकूला जैसे शहरों में भीड़भाड़ को कम करना है।

मुख्य बिंदु

- मार्ग और विनिर्देश:
 - ◆ छह लेन वाला जीरकपुर बाईपास NH-7 पर जीरकपुर-पटियाला जंक्शन से शुरू होगा और NH-5 पर जीरकपुर-परवाणू जंक्शन पर समाप्त होगा।
 - ◆ यह बाईपास पंजाब और हरियाणा से होकर गुजरेगा और इसकी कुल लंबाई 19.2 किलोमीटर होगी।
 - ◆ इस परियोजना को राष्ट्रीय राजमार्ग (मूल) [NH(O)] कार्यक्रम के भाग के रूप में हाइब्रिड एन्युटी मोड (HAM) का उपयोग करके विकसित किया जाएगा।
- पीएम गतिशक्ति के तहत रणनीतिक महत्त्व:
 - ◆ सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इस परियोजना को एकीकृत परिवहन अवसंरचना के निर्माण में एक महत्वपूर्ण कदम बताया।
 - ◆ यह पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के उद्देश्यों के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य बुनियादी ढाँचे की योजना को समन्वित करना और मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है।

पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान

- अक्टूबर 2021 में शुरू किया गया पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान 100 लाख करोड़ रुपये की एक परिवर्तनकारी पहल है जिसका उद्देश्य अगले पाँच वर्षों में भारत के बुनियादी ढाँचे में क्रांतिकारी बदलाव लाना है।
- इसे BISAG-N (भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग एवं भूसूचना विज्ञान संस्थान) द्वारा डिजिटल मास्टर प्लानिंग टूल के रूप में विकसित किया गया है।
 - ◆ इसे गतिशील भौगोलिक सूचना प्रणाली GIS) प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है, जिसमें सभी मंत्रालयों/विभागों की विशिष्ट कार्य योजनाओं के आँकड़ों को एक व्यापक डाटाबेस में शामिल किया गया है।
- इस योजना का उद्देश्य परियोजनाओं को तेज़ी से पूरा करना, समय सीमा को कम करना तथा अंतर-मंत्रालयी बाधाओं को दूर करके भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना है।
- पीएम गतिशक्ति का विज़न एक विश्व स्तरीय बुनियादी ढाँचे का निर्माण करना है, जो जीवन को आसान बनाए, आर्थिक विकास को बढ़ावा दे और भारतीय व्यवसायों को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाए।

हाइब्रिड एन्युटी मॉडल (HAM)

- यह IPC और BOT-एन्युटी मॉडल का मिश्रण है। डिज़ाइन के अनुसार, सरकार पहले पाँच वर्षों में वार्षिक भुगतान (एन्युटी) के माध्यम से परियोजना लागत का 40% योगदान देगी।
- शेष भुगतान सृजित परिसंपत्तियों और डेवलपर के प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



अरावली में खनन गतिविधियाँ प्रतिबंधित

चर्चा में क्यों ?

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने संरक्षित **अरावली वन भूमि** पर कथित खनन को लेकर हरियाणा सरकार और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

- इसने राज्य को 7 अगस्त 2025 तक सभी खनन और पत्थर-कुचलने की गतिविधियों को रोकने का भी निर्देश दिया।

मुख्य बिंदु

- मुद्दे के बारे में:
 - ◆ यह आरोप लगाया गया कि हरियाणा सरकार ने अधिसूचित **संरक्षित वन** भूमि के 506.33 एकड़ भाग का 25% हिस्सा पत्थर तोड़ने वाली इकाइयों को नीलाम कर दिया है।
 - इस भूमि को **ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना** के लिये प्रतिपूरक वनरोपण के भाग के रूप में संरक्षित वन घोषित किया गया था।
 - ◆ यह मामला **वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980** के उल्लंघन को उजागर करता है तथा नीलामी प्रक्रिया की वैधता पर प्रश्न उठाता है।
 - ◆ याचिकाकर्ताओं और पर्यावरणविदों ने बताया कि खनन और पत्थर तोड़ने से **स्थानीय जल स्तर, वनस्पति और जीव-जंतुओं पर गंभीर प्रभाव पड़ा है।**
 - उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि जहाँ देश ग्रेट निकोबार में घने जंगलों को खो रहा है, वहीं अरावली पर्वत को पुनर्स्थापित करने के लिये प्रस्तावित 'निकोबार स्वैप' भूमि को अवैध खनन के जरिये नष्ट किया जा रहा है।
- अरावली के बारे में:
 - ◆ अरावली पर्वतमाला गुजरात से राजस्थान होते हुए दिल्ली तक फैली हुई है, इसकी लंबाई 692 किमी तथा चौड़ाई 10 से 120 किमी के बीच है।
 - यह शृंखला एक प्राकृतिक हरित दीवार के रूप में कार्य करती है, जिसका 80% भाग राजस्थान में तथा 20% हरियाणा, दिल्ली और गुजरात में स्थित है।
 - ◆ अरावली पर्वतमाला दो मुख्य श्रेणियों में विभाजित है - **सांभर सिरोही श्रेणी** और राजस्थान में **सांभर खेतड़ी श्रेणी**, जहाँ इनका विस्तार लगभग 560 किलोमीटर है।
 - ◆ यह **थार रेगिस्तान और गंगा के मैदान** के बीच एक **इकोटोन** के रूप में कार्य करता है।
 - इकोटोन वे क्षेत्र हैं जहाँ दो या अधिक **पारिस्थितिकी तंत्र**, जैविक समुदाय या जैविक क्षेत्र मिलते हैं।
 - ◆ इस पर्वतमाला की सबसे ऊँची चोटी **गुरुशिखर (राजस्थान)** है, जिसकी ऊँचाई 1,722 मीटर है।

ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना

- वर्ष 2021 में प्रारंभ हुआ ग्रेट निकोबार आइलैंड (GNI) प्रोजेक्ट, **अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह** के दक्षिणी छोर पर लागू किया जाने वाला एक मेगा प्रोजेक्ट है।
 - ◆ इसमें द्वीप पर एक **ट्रांस-शिपमेंट पोर्ट**, एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, टाउनशिप विकास और 450 MVA गैस और **सौर-आधारित विद्युत संयंत्र** विकसित करना शामिल है।
- इस प्रोजेक्ट को **नीति आयोग** की रिपोर्ट के बाद लागू किया गया था, जिसमें द्वीप की लाभप्रद स्थिति का उपयोग करने की क्षमता की पहचान की गई थी, जो दक्षिण-पश्चिम में श्रीलंका के कोलंबो और दक्षिण-पूर्व में पोर्ट ब्लेयर (मलेशिया) और सिंगापुर से लगभग समान दूरी पर स्थित है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



नोट :

राष्ट्रीय हरित अधिकरण

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन मामलों के त्वरित समाधान हेतु एक विशेष निकाय है।

परिचय

- ① **स्थापना:** राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत
- ① **उद्देश्य:** पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन संबंधी मामलों का त्वरित समाधान
- ① **मामले का समाधान:** 6 माह के अंदर
- ① **मुख्यालय:** नई दिल्ली (मुख्यालय), भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई

संरचना

- ① **संरचना:** अध्यक्ष, न्यायिक सदस्य और विशेषज्ञ सदस्य
- ① **कार्यकाल:** 5 वर्ष तक/65 वर्ष की आयु तक (पुनर्नियुक्ति नहीं)
- ① **नियुक्तियाँ:** अध्यक्ष - केंद्र सरकार (भारतीय मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से)
 - 10-20 न्यायिक सदस्य और 10-20 विशेषज्ञ सदस्य - चयन समिति

भारत विश्व स्तर पर तीसरा देश है (ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद) साथ ही NGT जैसा विशेष पर्यावरण अधिकरण स्थापित करने वाला पहला विकासशील देश भी है।

शक्तियाँ और अधिकार क्षेत्र

- ① **अधिकार क्षेत्र:** पर्यावरण संबंधी मुद्दों और अधिकारों पर दीवानी मामले
- ① **स्वप्रेरणा से अधिकार (Suo Motu Powers):** वर्ष 2021 से प्रदान किये गए
- ① **भूमिका:** न्यायिक, निवारक और उपचारात्मक
- ① **प्रक्रिया:** प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करता है
 - CPC, 1908 या भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के तहत बाध्य नहीं
- ① **सिद्धांत:** सतत् विकास; निवारक (Precautionary); प्रदूषक भुगतान (Polluter Pays)
- ① **आदेश:** सिविल कोर्ट के आदेशों के अनुसार निष्पादन योग्य; राहत और मुआवज़ा प्रदान करता है (**निर्णय बाध्यकारी है**)
- ① **अपील:** अधिकरण अपने निर्णयों की समीक्षा कर सकता है।
 - यदि निर्णय विफल हो जाता है - 90 दिनों के अंदर उच्चतम न्यायालय में अपील दायर की जानी चाहिये

NGT निम्नलिखित के तहत सिविल मामलों का समाधान करता है

- ① जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974
- ① जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) उपकर अधिनियम, 1977
- ① वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
- ① वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981
- ① पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986
- ① सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991
- ① जैव-विविधता अधिनियम, 2002



Drishti IAS

पंजाब और हरियाणा में गेहूँ उत्पादन की प्रवृत्ति

चर्चा में क्यों ?

पंजाब और हरियाणा में अनुकूल शीतकालीन मौसम के कारण वर्ष 2025 में गेहूँ की पैदावार बढ़ने की संभावना है, हालाँकि हाल ही में हुई बेमौसम ओलावृष्टि से फसल को मामूली नुकसान हुआ है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



नोट :

मुख्य बिंदु

- **गेहूँ उत्पादन और उपज अनुमान:**
 - ◆ पिछले वर्ष की तुलना में औसत गेहूँ उपज में वृद्धि का अनुमान लगाया गया है:
 - पंजाब: वर्ष 2023-24 में औसत गेहूँ उपज 50 क्विंटल/हेक्टेयर थी। वर्ष 2024-25 में यह 60 क्विंटल/हेक्टेयर से अधिक हो सकती है।
 - हरियाणा: वर्ष 2023-24 में गेहूँ की औसत उपज 46 क्विंटल/हेक्टेयर थी। वर्ष 2024-25 में यह 50 क्विंटल/हेक्टेयर से अधिक हो सकता है।
- पंजाब और हरियाणा केंद्रीय खरीद पूल में, विशेषकर गेहूँ के लिये, प्रमुख योगदानकर्ता हैं।
- **एक मजबूत फसल:**
 - ◆ खाद्य सुरक्षा को मजबूत करेगी और बाजार में आपूर्ति को स्थिर बनाएगी।
 - ◆ बेहतर खरीद दरों के माध्यम से किसानों की आय को बढ़ाएगी।
 - ◆ **सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS)** को लाभ पहुंचाएगी और खाद्य मुद्रास्फीति को कम करेगी।
- **भारत में गेहूँ उत्पादन**
 - ◆ गेहूँ एक रबी फसल है, जिसे अक्तूबर से दिसंबर के बीच बोया जाता है और अप्रैल से जून तक काटा जाता है।
 - ◆ यह चावल के बाद भारत का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण अनाज है और उत्तरी तथा उत्तर-पश्चिमी क्षेत्रों का मुख्य भोजन है।
- **क्षेत्र एवं उत्पादन:**
 - ◆ क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में गेहूँ दूसरी सबसे बड़ी फसल है (धान के बाद)।
- **शीर्ष गेहूँ उत्पादक राज्य:**
 - ◆ उत्तर प्रदेश
 - ◆ पंजाब
 - ◆ हरियाणा
 - ◆ मध्य प्रदेश
 - ◆ राजस्थान
- **शीर्ष गेहूँ उत्पादक देश:**
 - ◆ चीन
 - ◆ यूरोपीय संघ
 - ◆ भारत
- **गेहूँ की खेती के लिये आदर्श परिस्थितियाँ:**
 - ◆ **मिट्टी:** अच्छी जल निकासी वाली दोमट या चिकनी मिट्टी में सबसे अच्छी वृद्धि होती है।
 - ◆ **तापमान:**
 - बुवाई के लिये 10–15°C
 - पकने और कटाई के दौरान 21–26°C
 - ◆ **वर्षा:** 75-100 सेमी मध्यम वर्षा की आवश्यकता होती है।
 - ◆ **सूर्य का प्रकाश:** अच्छी उपज के लिये अनाज निर्माण के दौरान तेज धूप आवश्यक है।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



नोट :

मॉरीशस के आईएसए के देशीय साझेदारी फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर

चर्चा में क्यों ?

मॉरीशस गणराज्य और अंतर-सरकारी संगठन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) ने सौर सहयोग को मजबूत करने और स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन में तेजी लाने के लिये एक देशीय साझेदारी फ्रेमवर्क (CPF) पर हस्ताक्षर किये।

मुख्य बिंदु

- अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) के बारे में:
 - ◆ अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के बढ़ते उपयोग के लिये एक कार्य-उन्मुख, सदस्य-संचालित, सहयोगात्मक मंच है।
 - इसका मूल उद्देश्य अपने सदस्य देशों में ऊर्जा तक पहुँच को सुगम बनाना, ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना और ऊर्जा परिवर्तन को बढ़ावा देना है।
 - ◆ ISA की परिकल्पना भारत और फ्रांस द्वारा सौर ऊर्जा समाधानों के माध्यम से जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध प्रयासों को गति देने के लिये एक संयुक्त प्रयास के रूप में की गई थी।
- दृष्टिकोण:
 - ◆ आइये हम सब मिलकर सूर्य को अधिक उज्ज्वल बनाएँ।
- उद्देश्य:
 - ◆ हर घर में, चाहे वह कितना भी दूर क्यों न हो, रोशनी होगी।
- मुख्यालय:
 - ◆ इसका मुख्यालय भारत में है तथा इसका अंतरिम सचिवालय गुरुग्राम में स्थापित किया गया है।

देश भागीदारी रूपरेखा (CPF):

- CPF सौर परियोजनाओं और नीति समर्थन पर सहयोग के लिये एक संरचित, रणनीतिक दृष्टिकोण की रूपरेखा प्रस्तुत करता है।
- मॉरीशस इस रूपरेखा पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश और विश्व स्तर पर चौथा देश (बांग्लादेश, भूटान और क्यूबा के बाद) है।
 - ◆ CPF तीन वर्षों के लिये वैध है, जिसमें आपसी सहमति के आधार पर नवीकरण का प्रावधान है।
- देश साझेदारी रणनीति (CPS):
 - ◆ CPF के बाद, ISA और मॉरीशस मिलकर एक देश साझेदारी रणनीति (CPS) का विकास करेंगे, जो मॉरीशस के राष्ट्रीय ऊर्जा लक्ष्यों के अनुरूप होगी।
 - ◆ CPS देश-संचालित और आवश्यकता-आधारित होगा, जो सौर तैनाती के लिये अनुकूल परिस्थितियों पर ध्यान केंद्रित करेगा।
- मुख्य लक्ष्य:
 - ◆ रणनीतिक योजना एवं विनियमन:
 - सौर ऊर्जा रोडमैप का निर्माण या संशोधन।
 - सौर अनुप्रयोगों को सुविधाजनक बनाने के लिये नियामक ढाँचे का विकास।

दृष्टि आईएसए के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



◆ प्रौद्योगिकी एवं क्षमता निर्माण:

- सौर प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग संसाधन केंद्र (स्टार-सी) की स्थापना।
- तकनीकी, विनियामक और वित्तीय क्षेत्रों में प्रशिक्षण और कौशल उन्नयन।

◆ सौर अनुप्रयोगों की तैनाती:

- सौर छतों, फ्लोटिंग सौर, एग्रीवोल्टाइक और सौर जल पंपिंग को बढ़ावा देना।
- सौर ऊर्जा से संचालित हरित हाइड्रोजन पहल के लिये समर्थन।

◆ द्वीपीय पारिस्थितिकी तंत्र के अनुरूप सौर नौकाओं और अन्य नवाचारों की खोज।

● मॉरीशस में ISA की वर्तमान भूमिका:

- ◆ ISA के संस्थापक सदस्य मॉरीशस ने ISA के नेतृत्व वाली पहलों में सक्रिय रूप से भागीदारी की है।
- ◆ इनमें उल्लेखनीय है जवाहरलाल नेहरू अस्पताल का सौरीकरण, जिसे ISA केयर्स पहल के तहत क्रियान्वित किया गया है, जिसका उद्देश्य लघु द्वीपीय विकासशील राज्यों (SIDS) में स्वास्थ्य सुविधाओं को सौरीकृत करना है।
- ◆ यह अस्पताल मूलतः भारतीय सहयोग से वर्ष 1984 में स्थापित किया गया था तथा जून 2024 में इसका सौर ऊर्जा से परिचालन शुरू किया जाएगा।

लघु द्वीप विकासशील राज्य (SIDS)

- लघु द्वीपीय विकासशील राज्य (SIDS) छोटे द्वीपीय राष्ट्रों और क्षेत्रों के समूह को संदर्भित करते हैं, जो महत्वपूर्ण सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय कमजोरियों के साथ-साथ सतत विकास में साझा चुनौतियों का सामना करते हैं।
- ◆ SIDS में मालदीव, सेशेल्स, मार्शल द्वीप, सोलोमन द्वीप, सूरीनाम, मॉरीशस, पापुआ न्यू गिनी, वानुअतु, गुयाना और सिंगापुर शामिल हैं।
- SIDS मुख्य रूप से तीन प्रमुख भौगोलिक क्षेत्रों में स्थित हैं: कैरीबियाई, प्रशांत और अटलांटिक, हिंद महासागर और दक्षिण चीन सागर क्षेत्र।
- 1992 में पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में, SIDS को उनकी अद्वितीय पर्यावरणीय और विकासात्मक चुनौतियों के कारण औपचारिक रूप से एक विशेष मामले के रूप में मान्यता दी गई थी।

हरियाणा में विकास परियोजनाओं का उद्घाटन

चर्चा में क्यों ?

भारत के प्रधानमंत्री ने हरियाणा में 10,000 करोड़ रुपए की विकास और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का शुभारंभ किया।

मुख्य बिंदु

- प्रमुख परियोजनाएँ:
- ◆ यमुनानगर में थर्मल पावर विस्तार:
 - प्रधानमंत्री ने यमुनानगर में दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट की 800 मेगावाट की तीसरी इकाई की आधारशिला रखी, जिसकी लागत 8,469 करोड़ रुपए होगी।
 - यह इकाई 233 एकड़ में बनाई जाएगी और इसका वाणिज्यिक परिचालन मार्च 2029 तक शुरू होने की उम्मीद है।
 - चालू हो जाने पर, हरियाणा की आंतरिक विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़कर 3,382 मेगावाट हो जाएगी।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



नोट :

- ◆ यमुनानगर में अपशिष्ट से ऊर्जा के लिये गोबरधन संयंत्र:
 - प्रधानमंत्री ने यमुनानगर के मुकारमपुर में 90 करोड़ रुपए के **गोबरधन प्लांट** की आधारशिला भी रखी।
 - यह यमुनानगर-जगाधरी नगर निगम और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (**BPCL**) के बीच एक सहयोग है।
 - मई 2027 तक पूरा होने वाला यह संयंत्र निम्नलिखित प्रसंस्करण करेगा:
 - ▲ 45,000 मीट्रिक टन ठोस अपशिष्ट,
 - ▲ प्रतिवर्ष 36,000 मीट्रिक टन गोबर निकालेगा है।
- ◆ इससे निम्नलिखित उत्पन्न होगा:
 - प्रति वर्ष 2,600 मीट्रिक टन **संपीडित बायोगैस (CBG)** (CNG के बराबर),
 - 10,000 मीट्रिक टन **जैव-उर्वरक**
 - इस परियोजना से CO₂ उत्सर्जन में 7,700 मीट्रिक टन/वर्ष की कटौती होगी, लैंडफिल में आग लगने की घटनाओं को रोका जा सकेगा और **वायु प्रदूषण** में कमी आएगी।
- ◆ यातायात सुगम बनाने के लिये रेवाड़ी बाईपास का उद्घाटन:
 - उन्होंने **भारतमाला** योजना के तहत **हाइब्रिड एन्युटी मोड** में 1,069 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित रेवाड़ी बाईपास का भी उद्घाटन किया।
 - 14.4 किलोमीटर लंबा चार लेन वाला बाईपास NH-352 को NH-11 से जोड़ता है, जिससे नारनौल तक पहुँच में सुधार होगा और रेवाड़ी शहर बाईपास हो जाएगा।
- ◆ हिसार के लिये नया हवाई अड्डा टर्मिनल:
 - उन्होंने हिसार में महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन की आधारशिला रखी, जिसकी लागत 410 करोड़ रुपए से अधिक होगी।
 - प्रधानमंत्री ने हरियाणा को **अयोध्या धाम** से जोड़ने वाली आगामी उड़ानों की घोषणा की।

संपीडित बायोगैस (CBG)

- **संपीडित बायोगैस (CBG)**: CBG एक **नवीकरणीय ऊर्जा** स्रोत है जो **कृषि अवशेष**, मवेशियों के गोबर, नगरपालिका के ठोस अपशिष्ट और सीवेज मल सहित जैविक अपशिष्ट से उत्पादित होता है।
 - ◆ यह **जीवाश्म ईंधनों** के स्थान पर कृषि एवं पशु अपशिष्टों का प्रबंधन करने तथा खुले में जलाने को कम करने में मदद करता है।
- **गोबरधन योजना: गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो-एग्रो रिसोर्सेज धन (GOBARdhan)** पहल का ध्यान चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिये **अपशिष्ट को धन** में परिवर्तित करने पर केंद्रित है।
 - ◆ इसका उद्देश्य सतत विकास को बढ़ावा देने के लिये **बायोगैस/संपीडित बायोगैस (CBG)/Bio-CNG** संयंत्रों के लिये एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करना है।
 - ◆ **जल शक्ति मंत्रालय** का पेयजल और स्वच्छता विभाग (DDWS) नोडल विभाग के रूप में कार्य करता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



भारतमाला परियोजना

- इसकी शुरुआत वर्ष 2015 में केंद्र सरकार ने की थी। यह सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport and Highways) के तहत शुरू किया गया एक व्यापक कार्यक्रम है।
- योजना के तहत सरकार का इरादा लगभग 7 लाख करोड़ रुपये के निवेश से 83,677 किलोमीटर राजमार्ग और सड़कें बनाने हैं।
- पहले चरण में 5.35 लाख करोड़ रुपये की लागत से 34,800 किलोमीटर राजमार्ग बनाने की योजना है।
- यह सीमा एवं अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी सड़कों, तटीय और बंदरगाह कनेक्टिविटी सड़कों के विकास, राष्ट्रीय गलियारों, आर्थिक गलियारों तथा अन्य की दक्षता में सुधार जैसी नई पहलों पर केंद्रित है।

हरियाणा सरकार ने राज्य के खिलाड़ियों के लिये चिकित्सा बीमा योजना शुरू की**चर्चा में क्यों ?**

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य के प्रत्येक खिलाड़ी को ₹20 लाख का चिकित्सा (मेडिकल) बीमा देने की घोषणा की है। यह घोषणा रोहतक के किलोई गाँव में आयोजित तीसरी अखिल भारतीय शिव कुमार स्मृति बास्केटबॉल प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह के दौरान की गई।

नोट:

- अखिल भारतीय शिव कुमार स्मृति बास्केटबॉल प्रतियोगिता स्वर्गीय श्री शिव कुमार को श्रद्धांजलि है, जिन्हें खेल और सामाजिक सेवा के प्रति समर्पण के लिये याद किया जाता है।
- शिव कुमार स्मृति स्टेडियम के विकास के लिये ₹21 लाख के विशेष अनुदान की घोषणा की गई।

मुख्य बिंदु

- एथलीटों के लिये चिकित्सा बीमा:
 - ◆ हरियाणा में सभी पंजीकृत खिलाड़ियों को ₹20 लाख का चिकित्सा बीमा मिलेगा।
 - ◆ इसका उद्देश्य चोट लगने या चिकित्सा संबंधी आपातस्थिति में वित्तीय सहायता सुनिश्चित करना है।
- नीतिगत सुधारों के माध्यम से खेलों को बढ़ावा देना:
 - ◆ एथलीटों को नौकरी की सुरक्षा और सहायता प्रदान करने के लिये हरियाणा उत्कृष्ट खिलाड़ी सेवा नियम 2021 लागू किया गया है।
 - खेल विभाग में 550 नये पद सृजित।
 - 224 एथलीटों को पहले ही सरकारी नौकरियों में नियुक्त किया जा चुका है।
 - प्रथम श्रेणी से तृतीय श्रेणी तक के सरकारी पदों पर सीधी भर्ती में आरक्षण।
 - ◆ हरियाणा भारत में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सबसे ज्यादा नकद पुरस्कार देता है। अब तक ₹593 करोड़ की पुरस्कार राशि दी जा चुकी है और 298 खिलाड़ियों को नियमित मानदेय मिल रहा है।
- युवा एथलीटों के लिये समर्थन:
 - ◆ राज्य भर में 1,489 खेल नर्सरियाँ सक्रिय हैं, जो 37,225 युवा एथलीटों को प्रशिक्षण दे रही हैं।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ेंUPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025UPSC
क्लासरूम
कोर्सIAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्सदृष्टि लर्निंग
ऐप**नोट :**

- ◆ मासिक भत्ता:
 - 8-14 वर्ष की आयु के एथलीटों के लिये ₹1,500
 - 15-19 वर्ष की आयु वालों के लिये ₹2,000
- ◆ वर्ष 2014 से:
 - 29,000 से अधिक छात्रों को ₹53.45 करोड़ की छात्रवृत्ति प्रदान की गई।
 - 15,634 खिलाड़ियों को खेल उपकरण वितरित किये गये।
- स्कूलों में अनिवार्य खेल:
 - ◆ कम उम्र से ही संतुलित शारीरिक और मानसिक विकास सुनिश्चित करने के लिये स्कूलों में खेल को अनिवार्य बनाया जा रहा है।
 - ◆ उद्देश्य: खेलों को न केवल एक पेशे के रूप में, बल्कि जीवनशैली के रूप में भी बढ़ावा देना।
 - ◆ टीम वर्क, अनुशासन, त्वरित निर्णय लेने और रणनीतिक सोच जैसे गुणों के निर्माण में बास्केटबॉल जैसे खेलों की भूमिका पर जोर दिया गया।
 - ◆ खेलों को एक स्वस्थ, सक्रिय और जागरूक समाज बनाने के लिये आवश्यक माना जाता है।

हरियाणा उत्कृष्ट खिलाड़ी सेवा नियम 2021

- हरियाणा उत्कृष्ट खिलाड़ी सेवा नियम 2021 हरियाणा सरकार द्वारा खेलों को प्रोत्साहन देने, एथलीटों का समर्थन करने और रोजगार के अवसरों, वित्तीय सहायता और मान्यता के माध्यम से उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिये शुरू की गई एक नीति है।
- यह राज्य में खेल को एक स्थायी और सम्मानित कैरियर बनाने की दिशा में एक व्यापक कदम है।
- नीति की मुख्य विशेषताएँ:
 - ◆ एथलीटों के लिये सरकारी नौकरियाँ:
 - खेल विभाग में 550 नये पद सृजित।
 - 224 खिलाड़ियों को पहले ही सरकारी पदों पर नियुक्त किया जा चुका है।
 - ◆ भर्ती में आरक्षण:
 - राज्य सरकार में ग्रुप ए से ग्रुप डी के पदों पर सीधी भर्ती में एथलीटों को आरक्षण मिलता है।
 - ◆ भारत में सर्वाधिक नकद पुरस्कार:
 - हरियाणा विभिन्न स्तरों पर पदक विजेताओं को सबसे अधिक नकद पुरस्कार प्रदान करता है।
 - ◆ मासिक मानदेय:
 - अब तक 298 शीर्ष प्रदर्शन करने वाले एथलीटों को उनकी उपलब्धियों के लिये मानदेय प्राप्त हुआ है।
 - ◆ छात्रवृत्ति सहायता:
 - वर्ष 2014 से अब तक खेलों में अच्छा प्रदर्शन करने वाले 29,000 से अधिक छात्रों को ₹53.45 करोड़ की छात्रवृत्ति वितरित की जा चुकी है।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



नोट:

गुरुग्राम में अपशिष्ट प्रबंधन

चर्चा में क्यों ?

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने गुरुग्राम और फरीदाबाद नगर निगमों को गुरुग्राम के बंधवारी लैंडफिल में कचरे के कुप्रबंधन के लिये फटकार लगाई है।

मुख्य बिंदु

- NGT का HSPCB को आदेशः
 - ◆ NGT ने हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (HSPCB) को छह सप्ताह के भीतर नई रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।
 - ◆ रिपोर्ट में गुरुग्राम और फरीदाबाद नगर निगमों से पर्यावरण क्षतिपूर्ति की वसूली और इसका का विवरण बताना होगा।
- अपशिष्ट प्रबंधन पर असंगत योजनाः
 - ◆ NGT ने अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाएँ स्थापित करने के लिये नगर निगमों द्वारा कोई सुसंगत योजना न बनाए जाने की आलोचना की।
 - ◆ इसमें कहा गया कि गुरुग्राम नगर निगम ने पहले अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र का प्रस्ताव दिया था, लेकिन अब उसने अपना ध्यान टॉरफाइड चारकोल सुविधा पर केंद्रित कर दिया है, जिसके 2027 तक चालू होने की उम्मीद है।
- बंधवाड़ी में कचरे का जमाव जारीः
 - ◆ न्यायाधिकरण ने बंधवाड़ी लैंडफिल में कचरे में वृद्धि देखी।
 - 1 दिसंबर 2024 को गुरुग्राम में 8.84 लाख मीट्रिक टन (MT) अप्रसंस्कृत कचरे की मौजूदगी दर्ज की गई थी, जो 31 मार्च 2025 तक बढ़कर 11.32 लाख MT हो गई।

तपीकरण (torrefaction)

- यह बायोमास को कोयले जैसी सामग्री में परिवर्तित करने की एक तापीय प्रक्रिया है, जिसमें मूल बायोमास की तुलना में बेहतर ईंधन विशेषताएँ होती हैं।
- इस प्रक्रिया में भूसा, घास, आरा मशीन के अवशेष और लकड़ी के बायोमास को 250 डिग्री सेल्सियस से 350 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है।
- इससे बायोमास के तत्व 'कोयले जैसे' छरों में बदल जाते हैं। इन छरों का इस्तेमाल स्टील और सीमेंट उत्पादन जैसे औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिये कोयले के साथ दहन के लिये किया जा सकता है।

हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

- भारत सरकार के जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के पारित होने के बाद जल की स्वच्छता बनाए रखने तथा जल प्रदूषण को रोकने के लिये वर्ष 1974 में हरियाणा सरकार द्वारा एक वैधानिक संगठन के रूप में इसकी स्थापना की गई थी।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



नोटः

राष्ट्रीय हरित अधिकरण

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन मामलों के त्वरित समाधान हेतु एक विशेष निकाय है।

परिचय

- ⑤ **स्थापना:** राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत
- ⑤ **उद्देश्य:** पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन संबंधी मामलों का त्वरित समाधान
- ⑤ **मामले का समाधान:** 6 माह के अंदर
- ⑤ **मुख्यालय:** नई दिल्ली (मुख्यालय), भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई

संरचना

- ⑤ **संरचना:** अध्यक्ष, न्यायिक सदस्य और विशेषज्ञ सदस्य
- ⑤ **कार्यकाल:** 5 वर्ष तक/65 वर्ष की आयु तक (पुनर्नियुक्ति नहीं)
- ⑤ **नियुक्तियाँ:** अध्यक्ष - केंद्र सरकार (भारतीय मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से)
 - 10-20 न्यायिक सदस्य और 10-20 विशेषज्ञ सदस्य - चयन समिति

भारत विश्व स्तर पर तीसरा देश है (ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद) साथ ही NGT जैसा विशेष पर्यावरण अधिकरण स्थापित करने वाला पहला विकासशील देश भी है।

शक्तियाँ और अधिकार क्षेत्र

- ⑤ **अधिकार क्षेत्र:** पर्यावरण संबंधी मुद्दों और अधिकारों पर दीवानी मामले
- ⑤ **स्वप्रेरणा से अधिकार (Suo Motu Powers):** वर्ष 2021 से प्रदान किये गए
- ⑤ **भूमिका:** न्यायिक, निवारक और उपचारात्मक
- ⑤ **प्रक्रिया:** प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करता है
 - CPC, 1908 या भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के तहत बाध्य नहीं
- ⑤ **सिद्धांत:** सतत् विकास; निवारक (Precautionary); प्रदूषक भुगतान (Polluter Pays)
- ⑤ **आदेश:** सिविल कोर्ट के आदेशों के अनुसार निष्पादन योग्य; राहत और मुआवज़ा प्रदान करता है (**निर्णय बाध्यकारी हैं**)
- ⑤ **अपील:** अधिकरण अपने निर्णयों की समीक्षा कर सकता है।
 - यदि निर्णय विफल हो जाता है - 90 दिनों के अंदर उच्चतम न्यायालय में अपील दायर की जानी चाहिये

NGT निम्नलिखित के तहत सिविल मामलों का समाधान करता है

- ⑤ जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974
- ⑤ जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) उपकर अधिनियम, 1977
- ⑤ वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
- ⑤ वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981
- ⑤ पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986
- ⑤ सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991
- ⑤ जैव-विविधता अधिनियम, 2002



Drishti IAS

हरियाणा में जीनोम-संपादन प्रयोगशाला

चर्चा में क्यों ?

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) - भारतीय गेहूँ एवं जौ अनुसंधान संस्थान (IIWBR), हरियाणा में जीनोम-संपादन प्रयोगशाला का उद्घाटन किया।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



- ICAR योजना के तहत वित्त पोषित इस प्रयोगशाला का उद्देश्य उन्नत फसल अनुकूलन और समृद्ध अनाज गुणवत्ता के लिये वांछनीय लक्षणों को बढ़ाने के लिये आधुनिक जीनोमिक उपकरणों का लाभ उठाना है।

मुख्य बिंदु

- जलवायु-अनुकूल किस्मों की सराहना:
 - ◆ किसानों ने जलवायु-प्रतिरोधी गेहूँ की किस्में उपलब्ध कराने के लिये वैज्ञानिकों की सराहना की, जो दिन के समय तापमान में उतार-चढ़ाव को सहन कर सकती हैं, विशेष रूप से फरवरी और मार्च में।
 - इन जलवायु प्रतिरोधी गेहूँ किस्मों में **करण वंदना (DBW-187)**, **MACS 6478** और पूसा यशस्वी शामिल हैं।
 - ◆ उन्होंने उत्पादन लागत में कमी पर संतोष व्यक्त किया क्योंकि रोग प्रतिरोधी किस्मों ने कवकनाशक स्प्रे की आवश्यकता को समाप्त कर दिया।
- जौ की नई किस्मों में रुचि:
 - ◆ कुछ किसानों ने भूमी रहित जौ की किस्मों में रुचि दिखाई, विशेष रूप से DWRB-223, जो हाल ही में जारी की गई थी।
 - DWRB -223 42.9 क्विंटल/हेक्टेयर की उच्च उपज और 11.7% प्रोटीन प्रदान करती है।
 - इसका भूसा-रहित अनाज इसे प्रत्यक्ष उपभोग और स्वास्थ्य खाद्य अनुप्रयोगों के लिये आदर्श बनाता है।
- प्रयोगशाला से भूमि तक के दृष्टिकोण पर जोर:
 - ◆ मंत्री ने 'प्रयोगशाला से भूमि' दृष्टिकोण के माध्यम से वैज्ञानिक अनुसंधान को ज़मीनी स्तर की खेती से जोड़ने के महत्त्व पर जोर दिया।

जीनोम संपादन

- जीन एडिटिंग (जिसे **जीनोम एडिटिंग** भी कहा जाता है) प्रौद्योगिकियों का एक समुच्चय है जो वैज्ञानिकों को एक जीव के **डीएनए** (DNA) को बदलने की क्षमता उपलब्ध कराता है।
- ये प्रौद्योगिकियाँ जीनोम में विशेष स्थानों पर आनुवंशिक सामग्री को जोड़ने, हटाने या बदलने में सहायक होती हैं।
- उन्नत शोध ने वैज्ञानिकों को अत्यधिक प्रभावी **क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड पैलिंड्रोमिक रिपीट (CRISPR)** से जुड़े प्रोटीन आधारित सिस्टम विकसित करने में मदद की है। यह प्रणाली जीनोम अनुक्रम में लक्षित हस्तक्षेप को संभव बनाती है।
 - ◆ इस युक्ति ने पादप प्रजनन में विभिन्न संभावनाओं को उजागर किया है। इस प्रणाली की सहायता से कृषि वैज्ञानिक अब जीन अनुक्रम में विशिष्ट लक्षणों को समाविष्ट कराने हेतु जीनोम को एडिट/संपादित कर सकते हैं।

भारतीय गेहूँ एवं जौ अनुसंधान संस्थान (IIWBR)

- परिचय:
 - ◆ IIWBR की स्थापना वर्ष 2014 में गेहूँ अनुसंधान निदेशालय के उन्नयन के बाद की गई थी।
 - ◆ यह हरियाणा के करनाल में स्थित एक प्रमुख ICAR-संबद्ध संस्थान है।
 - ◆ यह गेहूँ और जौ में अनुसंधान और विकास के लिये एक राष्ट्रीय केंद्र के रूप में कार्य करता है।
- मुख्य लक्ष्य:
 - ◆ IIWBR वैज्ञानिक नवाचार और क्षेत्र-स्तरीय हस्तक्षेप के माध्यम से गेहूँ और जौ की उत्पादकता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करता है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



नोट :

◆ संस्थान का उद्देश्य राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए भारत को गेहूँ उत्पादन में वैश्विक अग्रणी बनाना है।

● प्रमुख गतिविधियाँ:

- ◆ यह गेहूँ और जौ पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना का समन्वय करता है।
- ◆ इसकी प्रमुख गतिविधियों में शामिल हैं:
 - प्रजनन और आनुवंशिकी के माध्यम से विविधता में सुधार।
 - दक्षता और स्थिरता बढ़ाने के लिये संसाधन प्रबंधन।
 - रोगों और कीटों से निपटने के लिये फसल सुरक्षा रणनीतियाँ।

जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र

चर्चा में क्यों ?

विश्व पृथ्वी दिवस पर, अधिकारियों ने पिंजौर (हरियाणा) में जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र (JCBC) से 34 गंभीर रूप से लुप्तप्राय गिद्धों (20 लंबी-चोंच वाले और 14 सफेद-पूँछ वाले) को सफलतापूर्वक महाराष्ट्र में स्थानांतरित करके गिद्ध संरक्षण को एक बड़ा बढ़ावा दिया।

मुख्य बिंदु

- वन्य पुनरुत्पादन के लिये स्थल:
 - ◆ महाराष्ट्र के तीन प्रमुख बाघ अभयारण्यों में गिद्धों को पुनः जंगल में लाया जाएगा:
 - मेलघाट टाइगर रिजर्व
 - पेंच टाइगर रिजर्व
 - ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व
- BNHS और सहयोग की भूमिका:
 - ◆ बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी (BNHS) ने हरियाणा और महाराष्ट्र के वन विभागों के सहयोग से इस स्थानांतरण का समन्वय किया।
 - अखिल भारतीय वन्यजीव अनुसंधान संगठन BNHS वर्ष 1883 से प्रकृति संरक्षण को बढ़ावा दे रहा है।
 - इसका मिशन अनुसंधान, शिक्षा और सार्वजनिक जागरूकता पर आधारित कार्रवाई के माध्यम से प्रकृति, मुख्य रूप से जैवविविधता का संरक्षण करना है।
 - इसका लक्ष्य एक व्यापक आधार वाला स्वतंत्र वैज्ञानिक संगठन बनना है, जो संकटग्रस्त प्रजातियों और आवासों के संरक्षण में उत्कृष्टता हासिल कर सके।
- संरक्षण प्रजनन केंद्रों का राष्ट्रीय नेटवर्क:
 - ◆ BNHS ने पूरे भारत में चार जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र स्थापित किये हैं:
 - पिंजौर (हरियाणा)
 - भोपाल (मध्य प्रदेश)
 - राजाभटखावा (पश्चिम बंगाल)
 - रानी, गुवाहाटी (असम)

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट
अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



विश्व पृथ्वी दिवस

- यह प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को विश्व भर में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने, शिक्षित और सक्रिय करने के उद्देश्य के साथ मनाया जाता है।
- वर्ष 2025 की थीम: "हमारी शक्ति, हमारा ग्रह (Our Power, Our Planet)" - यह सभी से नवीकरणीय ऊर्जा के लिये एकजुट होने और वर्ष 2030 तक स्वच्छ ऊर्जा क्षमता को तीन गुना करने की दिशा में कार्य करने का आह्वान करता है।
- पृथ्वी दिवस पहली बार कैलिफोर्निया में तेल रिसाव के विनाशकारी परिणामों के बारे में सीनेटर गेलोर्ड नेल्सन के अवलोकन के बाद, वर्ष 1970 में मनाया गया।
- नेल्सन ने एक आंदोलन शुरू किया जिसमें पर्यावरण सुधारों के लिये 20 मिलियन से अधिक अमेरिकन लोग शामिल हुये।
- इस निर्णायक दिन के कारण अमेरिका में महत्वपूर्ण पर्यावरण संबंधी कानून पारित हुए, जिनमें पर्यावरण संरक्षण एजेंसी (EPA) का गठन भी शामिल था।
- वर्ष 1990 में पृथ्वी दिवस में 141 देशों के लगभग 200 मिलियन लोगों ने भाग लिया, जिससे यह एक विश्वव्यापी आयोजन बन गया।
- महत्त्व: यह विश्व भर में हरित पहलों का जश्न मनाने और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में चल रहे प्रयासों को उजागर करने का अवसर भी प्रदान करता है।

जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र

- परिचय:
 - ◆ यह हरियाणा वन विभाग और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी (BNHS) की संयुक्त परियोजना है।
 - ◆ इसका उद्देश्य तीन गंभीर रूप से लुप्तप्राय गिद्ध प्रजातियों - सफेद पीठ वाले, लंबी चोंच वाले और पतली चोंच वाले - को बचाना है।
 - ◆ इस केंद्र की स्थापना सितंबर 2001 में गिद्ध देखभाल केंद्र (VCC) के रूप में की गई थी।
 - ◆ VCC को VCBC (बाद में जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र- JCBC) में उन्नत किया गया।
- स्थिति:
 - ◆ JCBC हरियाणा के पिंजौर से लगभग 8 किमी दूर, बीर शिकारगाह वन्यजीव अभयारण्य के पास जोधपुर गाँव में स्थित है।
 - ◆ यह हरियाणा वन विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई 5 एकड़ भूमि पर फैला हुआ है।
 - ◆ JCBC में वर्तमान में 160 गिद्ध हैं, जिनमें शामिल हैं:
 - 63 सफ़ेद पीठ वाला
 - 74 लंबी चोंच
 - 21 पतली चोंच
 - 2 हिमालयन ग्रीफ़न
 - ◆ यह विश्व स्तर पर एक स्थान पर इन तीन जिप्स प्रजातियों का सबसे बड़ा संग्रह है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025UPSC
क्लासरूम
कोर्सIAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्सदृष्टि लर्निंग
ऐप

नोट :

हरियाणा पंचायतों के लिये विकास पैकेज

चर्चा में क्यों ?

राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने राज्य की पंचायतों के लिये 368 करोड़ रुपए के विकास पैकेज की घोषणा की।

- पंचकूला में राज्य स्तरीय ग्राम उत्थान समारोह में उन्होंने 233 करोड़ रुपए की लागत की 923 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया तथा 135 करोड़ रुपए की लागत के 413 कार्यों का शिलान्यास किया।

मुख्य बिंदु

- पंचायतों को वित्तीय सहायता मज़बूत करना:
 - ◆ मुख्यमंत्री ने स्टॉप ड्यूटी राजस्व के 573 करोड़ रुपए हस्तांतरित किये:
 - 22 जिला परिषदें
 - 142 पंचायत समितियाँ
 - 5,388 ग्राम पंचायतें
 - ◆ उन्होंने सामुदायिक गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिये 511 ग्राम पंचायतों में महिला चौपालों के निर्माण के लिये 18.28 करोड़ रुपए जारी किए।
 - ◆ सरकार ने मानदेय के रूप में 1.45 करोड़ रुपए वितरित किये:
 - 411 जिला परिषद सदस्य
 - 3,081 पंचायत समिति सदस्य
- जागृत ग्राम पुरस्कार योजना:
 - ◆ उन्होंने ग्राम पंचायतों के लिये प्रदर्शन के आधार पर, मुख्यमंत्री जागृत ग्राम पुरस्कार योजना शुरू की।
 - ◆ पंचायतों का मूल्यांकन निम्नलिखित आधार पर किया जाएगा:
 - शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, स्वच्छता
 - महिला सशक्तीकरण, कृषि उत्पादन
 - डिजिटल पहुँच, टिकाऊ बुनियादी ढाँचा
 - नक़द पुरस्कार:
 - ▲ प्रथम स्थान के लिये 51 लाख रुपए
 - ▲ दूसरे स्थान के लिये 31 लाख रुपए
 - ▲ तीसरे स्थान के लिये 21 लाख रुपए
 - ◆ विजेता पंचायतों को पुरस्कार राशि का उपयोग स्थानीय विकास गतिविधियों के लिये करना होगा।
- निर्वाचित प्रतिनिधियों की क्षमता निर्माण:
 - ◆ मुख्यमंत्री ने **राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान** के तहत प्रशिक्षण किट वितरण का भी शुभारंभ किया।
 - ◆ सरकार हरियाणा में सभी 71,000 निर्वाचित पंचायती राज प्रतिनिधियों को पुनश्चर्या प्रशिक्षण प्रदान करेगी।

दृष्टि आईएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



नोट :

- सामाजिक सुरक्षा कवरेज का विस्तार:

- ◆ राज्य ने विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत 41,591 नए लाभार्थियों के बैंक खातों में 12.59 करोड़ रुपये जमा किए।

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA)

- **पृष्ठभूमि:** इस योजना को पहली बार वर्ष 2018 में कैबिनेट द्वारा 2018-19 से 2021-22 तक कार्यान्वयन के लिये अनुमोदित किया गया था।
- **कार्यान्वयन एजेंसी:** पंचायती राज मंत्रालय।
- **घटक:** मुख्य केंद्रीय घटक थे **पंचायतों को प्रोत्साहन देना** तथा केंद्रीय स्तर पर अन्य गतिविधियों सहित ई-पंचायत पर मिशन मोड परियोजना।
- राज्य घटक में मुख्य रूप से **क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण (CB&T)** गतिविधियाँ, (CB&T) के लिये संस्थागत तंत्र तथा सीमित स्तर पर अन्य गतिविधियाँ शामिल हैं।

हरियाणा में पॉक्सो फास्ट ट्रैक कोर्ट

चर्चा में क्यों ?

पंजाब एवं हरियाणा **उच्च न्यायालय** ने हरियाणा को **पॉक्सो अधिनियम** के प्रभावी कार्यान्वयन के लिये दो महीने के भीतर फरीदाबाद, पंचकूला और गुरुग्राम में चार फास्ट ट्रैक कोर्ट अधिसूचित करने का निर्देश दिया है।

मुख्य बिंदु

- **अतिरिक्त न्यायालयों का गठन:**
 - ◆ यह निर्देश **पॉक्सो अधिनियम** के तहत अपराधों से निपटने के लिये अतिरिक्त न्यायालयों के गठन की मांग वाली याचिका की सुनवाई के दौरान जारी किया गया।
 - ◆ याचिका में स्वतः संज्ञान मामले में जारी **सर्वोच्च न्यायालय** के दिशा-निर्देशों को लागू करने की भी मांग की गई है।
 - ◆ **भारत के सॉलिसिटर जनरल** के अनुसार, केंद्र सरकार ने देश भर में फास्ट ट्रैक और पॉक्सो न्यायालयों की स्थापना और संचालन के लिये 200 करोड़ रुपये आवंटित किये थे।
- **पॉक्सो अधिनियम के बारे में:**
 - ◆ इस कानून का उद्देश्य बच्चों के यौन शोषण और यौन दुर्व्यवहार के अपराधों को संबोधित करना है। यह अधिनियम 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को बच्चे के रूप में परिभाषित करता है।
 - इसे वर्ष 1992 में भारत द्वारा **बाल अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन** के अनुसमर्थन के परिणामस्वरूप अधिनियमित किया गया था।
- **विशेषताएँ:**
 - ◆ **लिंग-तटस्थ प्रकृति:** अधिनियम यह मानता है कि लड़कियाँ और लड़के दोनों यौन शोषण के शिकार हो सकते हैं और ऐसा दुर्व्यवहार अपराध है, चाहे पीड़ित का लिंग कुछ भी हो।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्स



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप



नोट :

- ◆ पीड़ित की पहचान की गोपनीयता: POCSO अधिनियम, 2012 की धारा 23 के अनुसार बाल पीड़ितों की पहचान गोपनीय रखी जानी चाहिये। मीडिया रिपोर्ट में पीड़ित की पहचान उजागर करने वाली कोई भी जानकारी नहीं दी जा सकती, जिसमें उनका नाम, पता और परिवार की जानकारी शामिल है।
- ◆ बाल दुर्व्यवहार के मामलों की अनिवार्य रिपोर्टिंग: धारा 19 से 22 ऐसे व्यक्तियों को, जिन्हें ऐसे अपराधों की जानकारी है या उचित संदेह है, संबंधित प्राधिकारियों को रिपोर्ट करने के लिये बाध्य करती है।

भारत के सॉलिसिटर जनरल (SGI)

- यह भारत के अटॉर्नी जनरल के बाद दूसरा सर्वोच्च विधि अधिकारी है।
- यह कोई **संवैधानिक पद** नहीं है बल्कि वैधानिक नियमों द्वारा शासित है।
- विधि अधिकारी (सेवा की शर्तें) नियम, 1987 के अनुसार इसका मुख्यालय नई दिल्ली में होगा।
- प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली **कैबिनेट की नियुक्ति समिति (ACC)** द्वारा नियुक्त किया जाता है।
- इसका कार्यकाल तीन वर्ष का होता है।
- इसके कर्तव्यों में सरकार को सलाह देना, अदालतों में उपस्थित होना और **अनुच्छेद 143** के संदर्भों को संभालना शामिल है।
- बिना अनुमति के सरकार के खिलाफ पेश नहीं हो सकते या आपराधिक आरोपी का बचाव नहीं कर सकते।
- सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या मंत्रालयों को सीधे सलाह नहीं दी जा सकती; इसके लिये कानूनी मामलों के विभाग से परामर्श लेना होगा।
- निर्दिष्ट सार्वजनिक या सरकार-नियंत्रित संस्थाओं को छोड़कर निजी प्रैक्टिस पर प्रतिबंध है।
- बिना पूर्व सरकारी अनुमोदन के लाभकारी पद पर नहीं रह सकते।



दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2025



UPSC
क्लासरूम
कोर्सेस



IAS करेंट अफेयर्स
मॉड्यूल कोर्स



दृष्टि लर्निंग
ऐप

